न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
26 / 2025	04.06.2025	25/6/25

रामकिशन पुत्र भजन, गुर्जर निवासी बाढ टटवाडा तह0 तलावडा —प्रार्थी

बनाम

—अप्रार्थी

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राज0 अधिनियम

उपस्थित :— प्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0न0 129, 129/469, 224, 277 कुल रकबा 1.27 है0 ग्राम बाढ टटवाडा मे ख0न0 277 रकबा 0.32 है0 ग्राम बाढ टटवाडा मे प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित भूमि की सुरक्षा हेतु मिट्टी की डोलमेड बनाई हुई है। बरसातों मे डोलमेड के नष्ट हो जाने के कारण आस पास के काश्तकारों से आये दिन सीमा से विवाद होता रहता है। प्रार्थी के आस पास के पडौसी सीमा को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.6.2024 को सीमाज्ञान भी करवाया जा चुका है परन्तु आस पास के पडौसी कृषक प्रार्थी को परेशान करते है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.6.24 को अप्रार्थी से प्रार्थी की भूमि की पत्थर गढी बाबत निवेदन किया तो उन्होने कहा कि हमे कोर्ट से आदेश लेकर आओं तभी तुम्हारा काम होगा इस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसे किसी दीगर व्यक्ति का कोई सरोकार या वास्ता नही है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 277 रकबा 0.32 है0 ग्राम बाढ टटवाडा तह0 तलावडा जिला सवाई माधोपुर की खातेदारी की भूमि पर पत्थरगढी के आदेश पारित फरमाये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 69 ग्राम बाढ टटवाडा, नकल सीमा रिपोर्ट बाढ टटवाडा दिनांक 22.6.2024 प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

प्रार्थी को सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

धिकारी
(राज0)

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 22.06.2024 से स्पष्ट है कि प्रार्थी को उनकी भूमि ख0न0 277 रकबा 0.32 है0 ग्राम बाढ टटवाडा तह0 तलावडा का सीमाज्ञान कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थी का पडौसी काश्तकारों से विवाद बने रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 277 रकबा 0.32 है0 ग्राम बाढ टटवाडा तह0 तलावडा की पत्थरगढी कराने का अधिकारी हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थी को उनकी खातेदारी भूमि ख0न0 277 रकबा 0.32 है0 ग्राम बाढ टटवाडा तह0 तलावडा पर पत्थरगढी करावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:10 IST
Reason: SelfAttested